

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/33/2024-2025

05 नवम्बर, 2024

सेवा में,

श्री घीसू लाल पुत्र श्री फूल चंद
बी-48, सैक्टर-15, नोएडा,
उत्तर प्रदेश-201301

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 11.10.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 21.10.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10/- रुपये का पो.आ.सं. 64एफ 779619 संलग्न कर, अपने आवेदन की जानकारी हेतु निवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दायर की गई वर्तमान आरटीआई के आलोक में आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (e) की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है जो किसी व्यक्ति के पास उसके प्रत्ययी रिश्ते में उपलब्ध सूचना के प्रकटन से छूट देती है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए ऐसी सूचना के प्रकटन में बृहत जनहित शामिल है जैसा कि आवेदक द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से तीसरी पार्टी से संबन्धित हैं एवं इसमें बड़े स्तर पर कोई जनहित का कार्य सम्मिलित नहीं है, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत मांगे गए उपर्युक्त दस्तावेज़ों से संबन्धित सूचना का प्रकटन नहीं किए जा सकता।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।



(राजेश कुमार शर्मा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/33/2024-2025

05 नवम्बर, 2024

सेवा में,

श्री घीसू लाल पुत्र श्री फूल चंद
बी-48, सैक्टर-15, नोएडा,
उत्तर प्रदेश-201301

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 11.10.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 21.10.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10/- रुपये का पो.आ.सं. 64एफ़ 779619 संलग्न कर, अपने आवेदन की जानकारी हेतु निवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दायर की गई वर्तमान आरटीआई के आलोक में आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (e) की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है जो किसी व्यक्ति के पास उसके प्रत्ययी रिश्ते में उपलब्ध सूचना के प्रकटन से छूट देती है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए ऐसी सूचना के प्रकटन में बृहत जनहित शामिल है जैसा कि आवेदक द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से तीसरी पार्टी से संबन्धित हैं एवं इसमें बड़े स्तर पर कोई जनहित का कार्य सम्मिलित नहीं है, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत मांगे गए उपर्युक्त दस्तावेज़ों से संबन्धित सूचना का प्रकटन नहीं किए जा सकता।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।



(राजेश कुमार शर्मा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

दिनांक

11/10/2024

मा. श्री केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
उपराष्ट्रपति का सचिवालय

(आर टी आई सेल), उपराष्ट्रपति एन्क्लेव,
केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली - 110001



विषय- सूचना उपलब्ध कराने हेतु।

सन्दर्भ- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भ में निवेदन हेतु के मुझे
लिखित निम्नसार सूचनाओं को उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये-

(1) मा. राष्ट्रपति, दिल्ली उच्च न्यायालय को स्पीडपोस्ट संबोधित पत्र
दिनांक 25/09/2024 की एक प्रति आपके (स्पीडपोस्ट) प्रेषित है।
कृपया उक्त पत्र पर मा. उपराष्ट्रपति सचिवालय द्वारा आज तक
हुई कार्यवाही का स्थितिवार ब्यौरा विवरण की सत्यापित प्रति उपलब्ध
कराने की कृपा कीजिये।

(2) पत्र दिनांक 25/09/2024 में वर्णित सन्दर्भ संख्या- 1 से 26 तक -
निम्नोक्त पर संविधान प्रश्न "गैर कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम),
अधिनियम, 1967 का संशोधन, 2012 में आनुरोध धाराओं" में
मामला उभरने की अनुशंसा प्रकट/प्रकाश में आपकी विधि विभाग
द्वारा हुई कार्यवाही का स्थितिवार स्पष्टीकरण विवेचना रिपोर्ट की
सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

तथा ना की उपा में गैर तथ्यात्मक साधनों में प्रयुक्त निष्पक्ष
तुष्टा प्रक्रिया में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) रिपोर्ट की
सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

(3) उक्त दिनांक के पत्र को आपके माध्यम से लोकहित मामले अन्तर्गत
मा. मध्यादेशक - राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) को उनके गुप्तचर
शाखा द्वारा आकास्मिक/तत्काल सचि आदेशन गुप्त योजनान्तर्गत -
कराने की अनुशंसा जाग्रत है, कृपया शासन स्तर पर विधि सम्मत
प्रक्रियाओं में प्रकटीकरण की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा -
कीजिये।

कृ० प्र० उ०... 2

दिनांक
25/09/2024

मा. रजिस्ट्रार
गैर कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम,
दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर, ए-ब्लॉक,
भूतल, शेरशाह मार्ग, नई दिल्ली-110003

विषय- गैर कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 का संशोधन, 2012 की
आवश्यक प्रस्ताव धाराओं तहत लोक द्वाि मामला दर्ज (सूचीबद्ध) कराने हेतु।

सन्दर्भ- (1) An act to provide for the more effective prevention of
certain unlawful activities of individuals and associations
and for matters connected therewith.

(2) सेक्टर-15 डारका (ककरौला, भरतविहार) के मकान नं. - सी-398, 399,
400 (दोतल भवन) व कार्यालय (डारका पुर्नवास कॉलोनी- रजिस्टर्ड) सी-

267 से गत 15 वर्षों पूर्व से संयोजित सामाजिक, आर्थिक, नैतिकता विरुद्ध
गैर कानूनी गतिविधियों में अपराधों की काली, घायलों के गुब्बारों का
क्षेत्र पपेट में हैं तथा मण्डराती खतरनाक खतरों से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों-
जैसे तात्कालीन / वर्तमान सांसद, विधायक, पार्षद सहित एम सी डी, डी डी ए,
दिल्ली पुलिस बिजली विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, पी डब्ल्यू डी व डेकेदार भाईमों,
इसिल जिले की एवं रा. रा. क्षेत्र दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण संस्थान
का नशा एवं नशीले मादक द्रव्य मद्यानिवेशालय अपनी सामाजिक एवं शासकीय
जवाब देते की मौजूदा भूमिका मुकदशक (मुक-बचिर व अंधे, काणे) प्रकाश में है।

(3) जब-जब कुर्यात अपराधी श्री शंभू झा (बिहारी) व उसके मुखबिरों की शिकायतें
की जाती हैं तो स्थानीय पुलिस उसे अपना घर छोड़ने या कहीं अन्यत्र भाग जाने
का संकेत कर देती हैं और शिकायतों की केवल ऊपरी औपचारिकता पूर्ण कर -
शिकायतों का पुलिस स्वतः अपनी मनमर्जी से पत्रावली अपने स्तर पर निगलन।
स्वादिज कर देती हैं, इस कृत्य के लिए पुलिस कर्मियों की दक्षता हासिल है।

(4) मा. मद्यानिवेशक - एनआईए व भारतीय सेना पुलिस माध्यम से पीडित क्षेत्र का
सघन सर्च ऑपरेशन कर कुर्यात अपराधी / अवैध धन उगाही / वसूली, नशीले व
मादक द्रव्यों की खुली बिक्री एवं आपूर्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों व मध्यम
वर्गों के घरों को ध्वस्त / सील कराने में मास्टर माइन्ड्स श्री शंभू झा (बिहारी)
दुकानों को जबरन सूरी शिकायत कर एस डी एम नजफगढ़ में जुर्माना लगवाना, ई-वेस्ट
रिक्शा-येरी करवाना, बिना नम्बर प्लेट के रिक्शे चलाना, देहरी-पट्टी फुटकर
सामग्री विक्रेताओं की आड़ में नशीले पदार्थों की गुप्त बिक्री एवं आपूर्ति का सरगना
व उसके गुर्गों को तत्काल गिरफ्तार की कार्रवाई कराने की कृपा कीजिये।

(5) श्री शंभू झा (बिहारी) स्वयं दूर रहकर अपने मुखबिरों / अपराधों में लिप्त चेहरे
दलालों (क्षेत्र के मुवा-बच्चों, महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों) व वकीलों (जिला न्यायालय
की सहायता व स्थानीय पुलिस कर्मियों की सहायता से सामान्य जन की शिकायतें दर्ज
करवाता है फिर आपसी झूठे मुकदमों में पूरी तरह फँसाकर आपसी समझौते के नाम पर
आर्थिक उपीड़न लाखों में अंजाम देता है, फिर उन पैसों को सभी में बाँटता है।

इस प्रकार से वर्षों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों का तथा कई विभागों के का अनैतिक कारोबार सुदृढ़ है।

(6) ऊरु कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लाई डिटेन्डर टेस्ट, मेण्डल टेस्ट साइको टेस्ट व नवीनतम तकनीकी उपकरणों की सहायता से प्रमाणों का प्रगटिकरण सत्यापित रिपोर्ट एन आई ए न्यायालय में प्राथमिकी अग्रेषित कर लोकहित में सचन कार्यवाही करवाने की कृपा कीजिये।

(7) कुख्यात अपराधी एवं गिरोह संचालक एवं महासचिव (दारका पुर्नवास कॉलोनी - रजिस्टर्ड) को तत्काल एन आई ए मुख्यालय व सेना की मदद से धर खोज कीजिये तथा तत्काल गिरफ्तार कर मा. न्यायालय एन आई ए कोर्ट में विशेष/एसओपी में मुकदमा दर्ज कर गौर जमानती वारंट जारी करवाने की कृपा कीजिये। यह सामाजिक हितों के कल्याण व सुरक्षा में अनिवार्य है तथा गत 15 वर्षों से पहले से

आज तक निरन्तर क्षेत्र के समाज विरुद्ध, समाज की तरक्की विरुद्ध, समाज के आर्थिक आत्मनिर्भर बनने के विरुद्ध, समाज को कमजोर कमजोर, तौंडने जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को संचालित किया जाता रह है अतः क्षेत्र की RWA - दारका पुर्नवास कॉलोनी (रजिस्टर्ड) को तत्काल प्रभाव से ब्लेकलिस्ट (काली सूची) में शामिल किया जाए, यह समय की जरूरत एवं क्षेत्र की आम जनता की मांग है, जो सर्वोच्च प्राथमिकता बन गयी है।

अतः क्षेत्रीय उद्योग अफसर / सब रजिस्ट्रार / मा. जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट, (उम्रिणी जिला) को RWA रद्द कराने हेतु आदेश जारी कीजिये व RWA का गत 15 वर्षों की गतिविधियाँ, आई टी आर दिक्कत, सड़क्यों का भौतिक, सत्यापन गत 15 वर्षों की रिपोर्ट, RWA के बैंक खाते का गत 15 वर्षों का लेखाखाता, राजस्व, पन्दा, कार्यालय का व्यय दिक्कत, कार्यालय स्टॉफ का निवर्ण व उनकी वैतनिक दिक्कत, RWA का व्यय दिक्कत, RWA कार्यालय का गत 15 वर्षों का विपुल बिल संस्था की पेन कैंडि, पल-अचल सम्पत्तियों का निवर्ण वाधनों का दिक्कत, वेनामी सम्पत्तियों RWA का गत 15 वर्षों का रजिस्टर प्रबन्धन, RWA का अध्यापन व महासचिव का पारितंत्रिक पदच्यप एवं सभी कार्यकारिणी सड़क्यों के नाम एवं निवास पता, गत 15 वर्षों की RWA बैंकों, प्रस्तावों, स्वीकृति का पंजिका प्रबन्धन दिक्कत, RWA के व्ययों का दिक्कत, RWA द्वारा मा. जिला न्यायालय, दारका, नई दिल्ली जिला न्यायालय - पटियाला हाऊस व मा. उच्च न्यायालय दिल्ली में गत 15 वर्षों का सिविल/अपराध मुकदमों की सूची वर्ष माद दिक्कत की नोटरी सत्यापन दिक्कत तथा कार्यकारिणी सड़क्यों की जेल यात्रा आदेश/दिक्कत उन लगे आरोपों/शिकायतों/मुकदमों का दिक्कत की जाँच एनआईए से करवाने की कृपा कीजिये।

(8) RWA - द्वाराका पुर्नवास कॉलोनी (राजिस्टर्ड) में सभी कार्यकारी सदस्यों का मत 15 वर्षों पहले से आज तक आकस्मिक / प्राथमिक मृत्यु प्राप्त सदस्यों के मृत्यु प्रमाण पत्रों व उनके आश्रित परिवारों में से किसी एक सदस्य को RWA में पदासीन किये हैं, कृपया नोटरी सत्यापित इस्तेावेजों की दिर्काष्टि पड़ताल कराने की कृपा कीजिये ।

(9) RWA - डायका पुर्नवास कॉलोनी (राजिस्टर्ड) की गत 15 वर्षों के पट्टे की व पश्चात आज तक प्रत्येक वर्षीय बार / त्रैमासिक / अर्ध मासिक / वार्षिक स्तरों का पन्दा शशी कार्रवाई की समिति के सभी सदस्यों द्वारा संग्रहण कर संग्रहण के बैंक खातों में प्रतिवर्ष जमा कराने का नोटरी सत्यापन - इस्तान्तेजों व बैंक खाता स्टेटमेंट व गत 15 वर्षों से पूर्व व पश्चात के आज तक सभी वर्षों की वर्ष बार बैंक शीट की सत्यापित प्रमाणीयता जांच मा. एन आइ ए न्यायालय द्वारा / आदेश से कराने की कृपा कीजिये ।

U) RWA - दायका पुनर्वास कॉलोनी (रजिस्टर्ड) का गत 15 वर्षों का बाहरी।
क्षेत्रीय आगन्तुकों का रजिस्टर रिकार्ड्स व RWA द्वारा समय-समय पर
आहूत बैंकों में लिखे गए प्रस्तावों का संग्रहण/रिकार्ड्स व स्वीकृति के
दस्तावेजों सहित वार्षिकी रिपोर्ट प्रति वर्ष बार का सम्पूर्ण धीरावार विवरण
रिपोर्ट की पड़ताल मा: इन आई एन्यामा लुय से कराने की अनुशंसा जाग्रह
कराने की कृपा कीजिये।

(11) RWA-डायका पुर्नवास कॉलोनी (रिजिस्टर्ड) द्वारा देश के अन्य राज्यों में मा. रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एन सी आर में अचल सम्पत्तियाँ (भूमि, भवन, वाहन, बीमा, आई पी ओ, आदिक जमा खाता, मधुचल फण्ड, रॉयट् मार्केट, कृषि भूमि व अन्य नीति व्यवसाय / क्षेत्र में निवेश, बैंक लॉकर (सदस्यगणों के बैंक लॉकर, उनकी धर्मपत्नी के बैंक खाते), लॉकर में जमा हैं तो रिकॉर्ड्स मा. एन. आर्. ए. न्यायालय के आदेश से न्यायालय की ड्रेजरी में जमा कराने व वाहन जाँच कराने की कृपा कीजिये।

(12) RWA-बादका पुर्नवास कॉलोनी (रजिस्टर्ड) के सभी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों (दली पुरुष) का प्रतिवर्ष मानसिक परीक्षण (मेण्टल टेस्ट) स्का-रूपम टेस्ट, गुगल, दृश्य, फेफड़े रोगी, किडनी रोगी, व साइको रोगी का ईलाज का दिक्कत मा. एन.आई.ए. न्यायालय से आदेश द्वारा पड़ताल कदम की कृपा कीजिये।

(13) RWA - डारका पुर्नवास कॉलोनी (रजिस्टर्ड) गत 15 वर्षों से पहले से निरन्तर आज तक डारका क्षेत्र में गैर कानूनी व अपराधों की गतिविधियों के संचालन द्वारा तात्कालीन / वर्तमान जनप्रतिनिधि की जनता में पहचान / लोकप्रियता की ब्रांति पहुँची / पहुँच रही है, उनमें काले दागों कारण गरिमा का ह्रास से प्रभावित है तथा क्षेत्र की जन सामान्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सुरक्षा का नुकसान व संवैधानिक जनकल्याण की परिभाषा का दहन / अपमान की दशा-दिशा प्रभावित हो चुकी है, इसके समाज में दुष्प्रवृत्तियों का ज्वलंत उदाहरण क्षेत्र की आम जनता / सभी समाज से प्रख्यात एवं गहन जांच द्वारा ही प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष त्रैनों रूपों में साक्ष्यों / प्रमाणों / प्रमाणित दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त होगा, मा. मध्याह्निक - एन आई ए (गृह मंत्रालय) से गुप्त जांच / सर्वे आपदेशन कराने की नितान्त आवश्यकता की विनम्र प्रार्थना है।

(14) कुख्यात अपराधों का गिरोहबन्द शंभू झा (बिहारी) गैर कानूनी गतिविधियों अन्तर्गत नशीले व मादक द्रव्यों की खुले आम बिक्री / आपूर्ति पर लोकहित में दर्ज (स्पीड पोस्ट सेविर) मौखिक / लिखित शिकायतों की स्वतन्त्र दृष्टिगत पत्रावलियों को स्थानीय पुलिस द्वारा स्वतः ही पुलिस द्वारा खारिज करने / कराना एक तरह की राष्ट्र की रक्ता, अखण्डता व सम्प्रभुता पर खतरा है। वर्ष 2012 की अवधि में दर्ज शिकायतों पर भी इस कुख्यात अपराधी को पिली पुलिस (डारका जिला) का पूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ था।

(15) RWA - पुर्नवास कॉलोनी (रजिस्टर्ड) द्वारा चलाई जा रही गैर कानूनी गति-विधियाँ, अपराध, अवैध वस्त्रों, भय पैसाकर वस्त्रों कराना / कराना, सौ-फर्जी मुकदमों की शिकायत, नशीले व मादक पदार्थों की खुली बिक्री / गुप्त आपूर्ति युवा-स्त्री-पुरुष, लड़कियों, मुखवियों से करवाना, व मुकदमों से क्षेत्र की जनता भीड़बस्त है।

यह संगठन आर्थिक दृष्टि से कमजोर व मध्यमवर्गीय पर जबरन अनैतिक, असामाजिक तत्वों को मोहता बनाकर, मुखबरी करार अपराधों व अपराधिक कार्यों में निपटन वर्गों का जैन बाँश का कार्य करके उनके - भविष्य को अन्धकार मय बनाने का कार्य गत 15 वर्षों से पहले से आज तक निरन्तर चल रहा है।

(16) कुख्यात अपराधों का सरगना शंभू झा (बिहारी) की मूल पैदाइशी स्थान (ग्राम, तहसील व जिला) की प्रष्टभूमि गुप्त है, किसी भी दशा में अपनी जाति, पिता व माता का नाम नहीं बताता है, तथा न किसी क्षेत्र की जनता को पता चल पाया है, इस अपराधी को दो पत्नियाँ हैं। पहली पत्नी के से बच्चे (एक लड़का व एक लड़की) हैं। तथा क्षेत्र की जनता से अवगत हुआ कि इसकी पहली पत्नी गत 18 वर्षों से डारका क्षेत्र में नहीं है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है।

तथा दूसरी पत्नी की कोई सन्तान नहीं है। पहली पत्नी के दोनों बच्चे भी विवाहित हैं।

(17) कुख्यात अपराधी का पूर्व में भी पुलिस ने काछा मूँद कर पूरे इलाका क्षेत्र में शाली-बाली घुमाया, फिर गिरफ्तार कर दफकड़ी डालकर घुमाया था, कैद (जेल) यात्रा पश्चात् जमानत पर बाहर आया, इसके बाद अपनी कुप्रवृत्ति नहीं छोड़ी। कारण है उसको पूर्व/वर्तमान के जनप्रतिनिधियों, एम सी डी, डी जे ए, बिजली, जल, पुलिस, पी डब्लू डी के भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है।

क्षेत्र के पीड़ित परिवारों द्वारा कुख्यात अपराधी के विरोध में शिकायतों पर न तो जनप्रतिनिधियों-मा. सांसद, विधायक, पार्षद उसके अपराधों पर संज्ञा लेते हैं तथा न ही संबंधित विभागों के छोटे-बड़े अधिकारियों गण इसकी कजह है, सब की भ्रष्ट प्रवृत्ति की विधियों अपने मुखबियों के द्वारा बनवाता है, फिर उसे चुकमेछ करता है तथा उसपर भ्रष्टाचार में फँसाने की धमकी देता है व प्राथमिकी दर्ज कराता है, जिस कारण वह कर्मचारी व जनप्रतिनिधि इसके जाल में फँस जाता है, परिणाम में सभी भ्रष्ट इस अपराधी के गुलाम बन जाते हैं।

और पश्चात् अपने कमाई का रोजगार (अवैध रोजगार) / अनैतिक व असंवैधानिक कानून द्वारा काछी कमाई को ग्रहण कर (मुखबियों माध्यमसे) संबंधित विभागों के अधिकारियों तक पहुँचाता है वो भी मुखबियों के माध्यमसे।

(18) कुख्यात अपराधी शंभू झा (बिधारी) जो RWA - डायका पुनवास कॉलोनी (रजिस्टर्ड - एस-51628/2005, दिल्ली) का महासचिव पर क्षेत्र की जनता का गंभीर आरोप यह है कि यह बच्चों व युवाओं को अपने कार्यालय बुलाकर फिर एक पुलिस कर्मी को बुलाकर उस बच्चे/युवा के कपड़े उतरता है, पियाई कर उसे अधमसा/बेधोश कर देता है फिर उसके घर वालों को बुलाता है, पुलिस की उपस्थिति में उसके घर भेजता है।

फिर वह बच्चा/युवा उस कुख्यात शंभू झा (बिधारी) से उरता है तथा बुलाने पर वह कार्यालय (सी-267, ककरोला, भारत विहार - सेक्टर-15 डायका) जाता है, जो उसे अनैतिक/असामाजिक गैरकानूनी काम बताता है, वह बेचारा अपने परिजन से छुपके, विवश होकर काम करता है, बड़ले में पैसा मिल जाता है, अगर उसकी बात नहीं मानने पर बच्चे को किसी अन्य मामले में फँसाकर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भिजवाता है, फिर उसके परिजनों से बच्चा छुड़ाने के नाम पर शमभौरा कराता है, बड़ले में पैसा (भासे मात्रा) लेता है, फिर संबंधित अपराधों, वकीलों को धन वितरण कर देता है।

(19) उक्त कुख्यात अपराधी अपने स्वार्थी नीति में गैर कानूनी उद्देश्यों की लत/प्रवृत्ति/कटाचार में डारका क्षेत्र-15 सेक्टर के बच्चों, लड़कियों, औरतों व पुरुषों को मोहरा (मुखवियों) बनाकर गलत, गैर कानूनी कृत्यों को - करवाता है, इसके पष्ठ भाग में उन्हें रोजगार सृजन कार्यों से धन प्राप्ति/ धनजिन हो जाता है। यह सब जनप्रतिनिधियों, संबंधित विभागों के अष्ट अधिकारियों को भी अनिरीकृत आप अर्जित स्त्रोतों के रूप में तथा उन्हें प्रसन्न व अपने पक्ष में करने के लिए गैर कानूनी कुकृत्य करवाता है।

(20) उक्त कुख्यात अपराधी का सरगना (मास्टर माइण्ड्स) बच्चों को झूठे मुकदमों में फँसाकर तडीपार करवाता है। बच्चा घर से भाग जाता है अन्यत्र रहकर अपने परिवार से सम्पर्क में रहता है। ऐसी यातना देता है।

इस कुख्यात अपराधी से (ब्लैकमेलर) से सभी जिला प्रशासन कमी व वरिष्ठ अधिकारियों व पूर्व/वर्तमान जनप्रतिनिधियों में भय/भयभीत है। उसके मुखवियों से हर पक्ष इसको गुप्त सूचनाओं का आश्रय-प्रदान (समन्वय) होता है।

मा. सांसद (पूर्व/वर्तमान), विधायक, पार्षद इस अपराधी के आगे नतमस्तक हैं कारण सबकी भ्रष्टाचार प्रवृत्ति की विधियों बनाता है और बेचादे बनकर मौनी बाबा बन गये हैं।

(21) कुख्यात अपराधी (गैर कानूनी गतिविधियों का मुखिया) - श्री शंभू झा (विधारी) ने अपने मुखविर श्री राम विलास मधतो 5/0 स्व. श्री बाबेश्वर मधतो (चाय की दुकान (रेड्डी पट्टी फुटकर सामग्री विक्रेता) की आड़ में अन्यो की तरह नशीले द्रव्य व मादक पदार्थों की बिक्री एवं आपूर्ति कार्य) को मोहरा बनाकर क्षेत्र की पीड़िता (मकान नं. - सी-55, 56, 57, 58 (12½ गज प्लॉट) जे० जे० पुर्नवास कॉलोनी (भारत सरकार द्वारा आवंटन) (समय - लगभग 22 वर्षों पहले आवंटित प्लॉट), ककरौला, भारत विहार, सेक्टर-15, डारका, नई दिल्ली का निर्मित प्लॉट/मकान - भू-तल, प्रथम तल, द्वितीय तल व तीसरा तल को एम सी डी (नजफगढ़ क्षेत्र) में शिका-यत कर ध्वस्त/हथोड़ा से छुड़ाया व दूसरी, तीसरी मंजिल सील कराया दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल के विद्युत मीटर भी उखाड़ा गया। दो दिन 17/09/2024 व 19/09/2024 को मकान ध्वस्त कराया व सील कराया, इसके पश्चात भी एम सी डी ने लगभग 69,000/- रु० का जुर्माना नोटिस स्पीड पोस्ट से भिजवाया।

मा. न्यायालय के अंतिम आदेश बिना ही एम सी डी (नजफगढ़ क्षेत्र) के अधीक्षण अभियन्ता, अधीशाही अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, व

कनिष्ठ अभियन्ता (भवन विभाग) में उस मकान को प्रतिगस्त कराया। मुख्य गेट का ताला तोड़ा व अन्दर घुसकर (माता-पिता की अनुपस्थिति में) हंगामा मचाया तथा छोटे पुत्र से दयापाई की, गन्दी-गन्दी गालियाँ सघनक अभियन्ता- (विजय जाधव) ने दी और 18/09/2024 को सुबह करीब 8:30 बजे मा. सांसद श्री मती कमलजीत सहरावतजी के निवास जाकर घटना की जानकारी दी, उसने भी बताया कि आप तो जानते हैं क्षेत्र का एक ही सबसे बड़ा ब्लेकमेल्डर शम्भू सा (बिधारी) का काम है, हम भी उससे बहुत डरते हैं लेकिन कोई उसकी शिकायत नहीं करता है।

इन्होंने भी मुझे आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ा।

(22) मेरे मकान (सी-55, 56, 57, 58) (12½ गज प्लॉट x 4 = 50 गज) निर्मित भू-तल मुख्य द्वार प्रति, सीढ़ियों के ध्वस्त व तीसरे तल की प्रति व कमरे सील व दूसरे तल की सिलिंग करवाई, जिसमें मुझे आर्थिक प्रति पहुँची है।

गद्य नुकसान अवैध/अनैतिक, गैर कानूनी व मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहितवाचिका (सिविल) 12080/2024 में पहली सुनवाई दिनांक 11/09/2024 के दृ: दिन भीतर ही बिना न्यायालय आदेश। अंतिम आदेश मेरे मकान को मेरे व मेरे परिवार की अनुपस्थिति में ध्वस्त किया, जिसमें छुई प्रति (नुकसान) की भरपाई/मुआवजा राशि 25 लाख (पच्चीस लाख करीब) को मेरे आधार लिंक बैंक खाते में नकद प. य. अन्तरण (डिजिटल स्ट्रोगें से)/ मा. न्यायालय की ड्रेजरी में समायोजन कराने का आदेश जारी कराने की कृपा कीजिये।

इसकी शिकायत लिखित में स्पीड पोस्ट द्वारा उच्चाधिका-रिनों की अवगोषित/प्रेषित है।

तथा कुख्यात अपराधी के मुखविर श्री राम विलास मधो 5/6 स्व. श्री बालेश्वर मधो ने मुझे व मेरे परिवार को गली में खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है व आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक प्रति पहुँचा सकते हैं, इसलिए मेरे परिवार को- प्राप्ति सुझा उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये। कृ०प० ३०... 8

(23) दारका सेक्टर-15 में गत 15 वर्षों से पट्टे से गैर कानूनी गतिविधियों में सक्रिय कुख्यात अपराधों का मुखिया शंभू झा (निवास- सी-398, 399, 400 (दो मंजिला), जे. जे. कॉलोनी, ककरौला, भारत विहार, सेक्टर-15 दारका, नई दिल्ली-110078 की मा. मधानिदेशक, एन आई ए (गृह-मंत्रालय) के द्वारा अधिमिकी दर्ज का आदेश जारी कराने की कृपा कीजिए तथा मास्टर माइण्ड्स अपराधी का निवास (तीन फ्लोर को मिलाकर) को कुर्की या ध्वस्त का आदेश मा. न्यायालय (एनआईए) के मा. न्यायाधीश से कराने की कृपा कीजिए।

तथा मेरे निवास की शर्त (नुकसान) की यहुँमुखी तोड़फोड़, मुख्य गेट की नुकसान, सिदिमों की तोड़फोड़, दूत को नुकसान (बड़े छिद्र) व सिलिंग व मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, मा. न्यायालय में अपराधी, वकील की पारिश्रमिक अपराधी सहित मुजावना के रूप में 25 लाख (पच्चीस लाख) रु. दिल्ली नगर निगम (भवन विभाग) नजफगढ़ क्षेत्र का अधीक्षण अभियन्ता, आदेशापी अभियन्ता सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता के वेतन खाते से मेरे आचार्य चिंक बेंकरवाह में या मा. न्यायालय के ड्रेजरी में प्रत्यक्ष नकद अन्तर। डिजिटल स्ट्रोको से समापन कराने की कृपा कीजिए।

तथा उपरोक्त अधिकारियों का अनैतिक धनार्जन में लिप्त भ्रष्टाचार में लिप्त के प्रकाश में वेतन खाते, बैंक लॉकर्स, पूरे परिवारों के खाते से धन निकासी पर रोक लगाने, बेनामी सम्पत्तियों व राजस्व निधि (भूमि, भवन, वाहन) व आकर विभाग द्वारा आप से अधिक संचित धन की धापा मारकर जाँच कराने की कृपा कीजिए।

(24) कुख्यात अपराधों का मुखिया शंभू झा (बिहारी) ने अपने आवास को तीन फ्लोरों में मिलाकर दो मंजिला बनाया तथा मुखबिर राममिलस महलों का मकान सी-ब्लॉक (पीडिता के घर के सामने) पर मंजिला घर निर्माण है, इन दोनों ने निर्माण समय एम सी डी से किसी भी प्रकार को एनओ सी व नक्शा स्वीकृत नहीं कराया, इसलिये इन पर भी डि. न. निगम, अधिनियम, 1957 के सेक्शन- 346 व 349 का एन है। अतः दोनों घरों को उपरोक्त अधिनियम की धाराओं में ध्वस्त।

सील / कुर्की आदेश मप नोटिस जारी करना / कराना संवैधानिक है। इनकी शिकायतों पर एम सी डी इसी अधिनियम में कार्यवाही करती है। इसलिये इनके घरों पर दिस जारी कर ध्वस्त / सील / कुर्की हो। एम सी डी पञ्चायत दवाई का धमशा इस्तेमाल करते हैं।

(25) कुख्यात अपराधी का सुरगना शंभू झा ने वर्ष 2012 में बाहर के भाड़े के बदमाश बुलाकर मेरे पूरे परिवार पर जानलेवा हमला करवाया तथा मेरे घर को अतिशय ईंटों व पत्थरों से करवाया था पूरी गली जानती है।

वजह भी किसी अन्य विधवा के एक पुत्र को तडीपार कराया व छोटे बेटे के विरुद्ध झूठा / फर्जी मुकदमे में फँसाया था मैंने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसके साक्ष्य प्रमाणों पर दस्तावेज उपलब्ध हैं।

मुझे व मेरे परिवार को जान बचाकर भागना पड़ा था तथा सात दिनों तक घर से बाहर दूर थे। उस वक्त भी मेरे घर को इसी अपराधी ने अग्नि पहुँचाई थी, इसलिए मुझे नुकसान हुआ था।

(26) कुख्यात अपराधी डाकू क्षेत्र सेक्टर-15 का बहुत बड़ा गिरोह बन्द बदमाश है। वह किसी भी कसौती गरीब व मध्यम वर्गी के साथ कोई भी अप्रिय घटना करने में हर बार कामयाब हो जाता है और वह कहता है कि पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी वगैरह से जान पहचान है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे दाका पुलिस का पुरा संरक्षण प्राप्त है।

इसकी जिला न्यायालय के मा. न्यायाधीश से मित्रता है उनके रीडर से मित्रता है व वकीलों से दोस्ती है, परिमाला हाउस कोर्ट के वकीलों से भी दोस्ती है। इनके सहयोग से लोगों की झूठी / फर्जी मुकदमों को सजीव सृजन कर अनैतिक आर्थिक लाभ लेता है तथा उन्हें ग्राहक लाकर देता है, फर्जी केसों में जमानत करवाता है।

इसका कार्यालय - सी-267, ककरोला, भारत विहार सेक्टर-15 दाका से RWA डाकू पुर्नवास कॉलोनी (रजिस्टर्ड - एस-51628/2005) में मजबूत है तथा इसकी पैदाइश (जन्म भूमि - गाँव - गद्दी मोहनपुर जिला दरभंगा (बिहार) का मूल निवासी है।

कुख्यात अपराधी डाकू सेक्टर-15 सेक्टर में गत 18 वर्षों से पदों से गैर कानूनी / बदमाशों, अपराध क्षेत्र में संलग्न है। यह गिरोह चलाता है

इसके कार्यालय का संचालन स्वयं है तथा धर्म पत्नी श्रीमती पुनिता कुमारी (गृहणी) है, इसके सौतेले बेटे की व बेटी की शादी हो गयी है। ये दोनों बच्चे पदवी पत्नी के हैं व श्रीमती पुनिता कुमारी सन्तान दीव है।

मा. मधामिश्रक, एनआईए द्वारा व आपकर विभाग द्वारा व प्रवीतन निदेशालय से गुप्त / गहन वेद्य गंभीरता से लोक कल्याण व आम नागरिकों की जानमाल की हानि, आर्थिक हानि, सामाजिक-प्रतिष्ठा की हानि, धार्मिक हानि, क्षेत्र में शान्ति प्रिय माद्येल की हानि व सबकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जाँच कार्यवाही एस वी एस माध्यम से कराने की कृपा कीजिये।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संलग्न (क्र.सं- एकसे छब्बीस) में लोक कल्याण में शुद्ध अन्तःकरण में दर्ज जनहित याचिका में लोकहित की सुरक्षा, एकता, अखण्डता एवं सद्बिष्णुता में कर बहू निवेदन हैं कि मैंने अपने विवेक से, स्व विवेक से एवं स्वतन्त्र विवेक से बेलतप्पों एवं वर्ष 2012 के दस्तावेजों के आधार पर, गत 22 वर्षों की छद्म-भूमि के रिकॉर्ड्स की दृष्टिगत मा. उच्च न्यायालय, दिल्ली में - गैरकानूनी गतिविधियाँ अधिनियम, 1967 व संशोधन 2012 अन्तर्गत व नये कानून, 2023 (भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक-सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के तहत अनिवार्य धाराओं में दर्ज शिकायत करने का निर्णय लिया है और माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली को मेरी शिकायत पर न्यायिक समीक्षा कराने का संवैधानिक अधिकार में है।

नोट - एक कुख्यात गिरोहबन्द, अपराधों का मुखिया शंभू झा (बिहारी) के लगभग 20 वर्षों का अपराधिक रिकॉर्ड्स, इसके विरुद्ध दर्ज - शिकायतों, मुकदमों, छोटी वकीलों, पुलिस अधिकारियों (डारका), एम सी डी (भवन विभाग) नजफगढ़ क्षेत्र के अधिकारियों, प्रीतीए, विद्युत विभाग, पुरुबोई, पी उबु डी, मछोरेया विभाग, एस डी एम कापिल्लप, प्रिछापीश कापिल्लप में अधिकारियों, पूर्व साँसदों, एम एल ए, निगम पार्कडों की बेनामी सम्पत्तियों, आप से अधिक धनार्जन, आपकर छापे, ई डी छापे, सी के छापे, नशीले द्रव्य व मादक पदार्थ निदेशालय से छापे, अवैध धन उगाही, बसुली में मुख्य-किरादार व मुखबिरो का जाल क्षेत्र में विषयाने का गंभीर आरोप में मा. एन आई ए मधामिश्रक एवं मा. एस.पी. एन आई ए (गुप्त मंत्रालय) से गुप्त सचि ऑपरेशन एवं सचि वारंट लोकहित में कराने की कृपा कीजिये।

संलग्न - 10 छद्म छपाइ (मा. प्रानमंत्री को संशोधित फाईल नं. 109/2023... 11)

राष्ट्रिनी प्रेषित हैं -

(1) मा. श्रीमती ज्योती सुर्जन,
राष्ट्रपति (प्रजासत्ताक भारत)
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - 4

(2) मा. श्री जगदीप धनखड़ाजी,
उपराष्ट्रपति, (भारत-संसार)
उपराष्ट्रपति एन्कलेव, केन्द्रीय
सांविधान, नई दिल्ली - 110001

(3) मा. श्री नरेन्द्र मोदी साहब,
प्रधानमंत्री (भारत-संसार)
राजकीय निवास, साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110011

(4) मा. कैबिनेट सचिव,
कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली - 110004

(5) मा. श्री डी. वाई. यन्त्रधर साहब,
मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय,
(भारत-संसार), भगवान शास्त्री रोड,
नई दिल्ली - 110001

(6) मा. श्री अमित शाह (केन्द्रीय गृहमंत्री)
(भारत संसार), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110011

(7) मा. श्री एस.के. सुधाकर,
अवर सचिव (भारत संसार)
गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011

(8) मा. महानिदेशक, एन आई ए,
गृह मंत्रालय (भारत-संसार)
सी जी ओ कॉम्प्लेक्स के सामने,
छोटी रोड, नई दिल्ली - 110003

(9) मा. पुलिस अधीक्षक (एसपी)
(अपराध), एन आई ए, भारत-संसार)
गृह मंत्रालय, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स के सामने,
छोटी रोड, नई दिल्ली - 110003

(10) मा. श्री बी.के. सम्सेनाजी,
उपराष्ट्रपति (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली संसार)
राजनिवास, शाम नारायण मार्ग, नई दिल्ली - 51

(11) मा. अध्यक्ष,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, (NHRC)
(भारत-संसार), मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक - सी, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110023

(12) मा. अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारिता आयोग, सहकारिता भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली - 23
(Hon'ble President (NATIONAL VIGILANCE COMMISSION

1

श्रीमती माछती देवी
उर्फ खामोश देवी

मा. श्रीराम अंबादास वसवार
उर्फ नरेश राम

पता - सी - 55, 56, 57, 58

(12 गज फ्लाट) जे.जे. पुर्नवासबाहेली,
ककरोला, भारत विहार, सेक्टर - 15,
सावका, नई दिल्ली - 110078



3



2



4



5



6

8

9

7

मा. डी. वाई. चन्द्रचूड़ जी,
मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय,
(भारत-सरकार)

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय - भू-माफिया, वसूली माफिया, ब्लैकमेलर, ड्रग माफिया व झूठे/फर्जी-
मुकदमें दर्ज का मास्टर माइण्ड्स व कुरब्यात अपराधी से दीर्घवधि
उत्पीड़ित/शोषित पर एमसीडी, डीडीए व पुलिस का प्रशासन
मुक-बाधित रहने की लोकहित मामला उजागर पर शिकायत दर्ज हो

सन्दर्भ - वाई-123 डारका सेक्टर-15 (इम्लिण दिल्ली) में दबंग की दबंगई
से आम से खास तक वर्षों से शोषित पूर्व/वर्तमान मा. सांसद विधायक,
पार्श्व, एमसीडी, डीडीए व स्थानीय पुलिस की प्रतिष्ठा दो कोड़ी की
नहीं तथा कानून को ठेंगा दिखाता माफिया पर मा. मुख्य न्यायाधीश
डा. तत्काल एसओ पी तहत सी आई एस एफ, बी एस एफ, सी आर पी
एफ व आई सी बी पी सैन्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर प्राथमिकी दाखिल
व स्थानीय सैकड़ों/हजारों पीड़ितों से प्रछाद व बयानों का संग्रहण
कर एन आई ए न्यायालय को संबोधित कर दिशा-निर्देश (आदेश)
जारी कराने व राहत प्रदान कराने संबंधित कार्यवाही मई नजर।
महोदय,

उपरोक्त विषयावर्गत एवं सन्दर्भ में निवेदन है कि कुरब्यात व
अपराधों का मुख्य सदगना ड्रग माफिया, भू-माफिया, वसूली माफिया
ब्लैकमेलर व प्रशासन की आँखों का काँटा श्री शंभू झा (विधायी), पता
सी-398, 399, 400 तीनों प्लॉट को मिलाकर दो मंजिला भवन में सपारी
वार रहता है, उसकी कभी कोई शिकायत नहीं कर सकता।

इसने एमसीडी स्कट 1957 के सेक्शन-346 व 349 की अवहेलना कर
तीन प्लॉट को एक कर (मिलाकर) भवन निर्माण की बिना एन ओ सी व
बिना नक्शा पास (स्वीकृति) के बनाया है व खतरनाक व आवा लगने
की स्थिति में बाहर निकलने व आगने शमन अकरण/साधन पर्याप्त
अवस्था नहीं है। इस पर एमसीडी (नज्जगह क्षेत्र-भवन विभाग) को तत्काल
कार्यवाही कर मा. न्यायालय में सिविल मुकदमा हेतु प्राथमिकी दर्ज
कर एसओ पी लगाकर कार्यवाही कराने का आदेश जारी कीजिए।

इसके कुकृत्यों में नशीले द्रव्यों की बिक्री में संलिप्त पुरुष-युवा, महिला
का इस्तेमाल, भू-माफिया-निर्धन परिवारों के भवन पर जबरन कब्जा
करना व झूठे केस में फँसाना, फिर आर्थिक क्षमता कराना, किसी
की हानि से झूठी शिकायत कराकर मुकदमें में भवन ध्वस्त कराना
लड़ाई-भगड़े कराना फिर मुकदमें में फँसाना, जान से मारने की धमकी

देना-दिलाना, रेहड़ी-पट्टी वाले, अर्धवस्त्र लो / उगाड़ी कराकर अपने घर व कामछिमें पैसों का हिस्सा बाँटना, इनसे ही उनके रोजगार-चलते हैं और फल-फूल रहे हैं। इसी से ही एम सी डी, डी डी ए व पुलिस मा. सांसद, विधायक व पार्षद की शेजी दोरी-चल रही हैं। इसलिए प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की मूक-बाधिर बन जा रहे हैं।

आज क्षेत्र की जनता में ये सब अपनी उपस्थिति / अपना सजीव आस्तित्व खो चुके हैं। इस परिणाम सभी का आर्थिक-सामाजिक व न्यायिक शोषण-परम सीमा पर हैं।

भ्रष्टाचार का अड्डा एम सी डी, डी डी ए, पुलिस थाना सेक्टर-17 डाकहा सहित श्री विजय जाधव - सहायक अभियन्ता (सिविल) व श्रीकांत एम सी डी - नजफगढ़ क्षेत्र से कुख्यात माफिया के साथ गहरी मित्रता है।

ये घरेलू के भीतर कदम है, फिर दलाली कर पुनः बिजली भीटर लगावारा है। लोगों की शिकायत करके (इसरो को मोहरा बनाकर) किसी के भी मकान ध्वस्त कराता है, जिला न्यायालय, डाकहा व मा. उच्च न्यायालय में वकीलों की सहायता से फर्जी मुकदमें व प्राथमिकी (ड्रॉन-लाइन द्वारा) व गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना का अधिकार, 2005 का इस्तेमाल सृजन कर मुकदमें में तब्दील कराता है फिर पीड़ितों का आर्थिक-सामर्थ्य / शोषण का कार्य कराता है। ऐसा बात 15 वर्षों से चल रहा है। युवा वर्ग, महिला वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को नशीले-पदार्थों की लत से भूखमरी / कुपोषण ग्रस्त से उभारी घेर रहे हैं।

अतः आपसे लोकहित में विशेष प्रार्थना है कि ऐसे कुख्यात माफिया (कई बेनामी सम्पत्ति, आवास) के कई घरों की पड़ताल कराना, उसके आधार लिंक सपरिवार के बैंक खातों को सीज कराना, राजस्व दिक्कतों संग्रहण कराना, वाहन व व्यक्ति श्रम की कुर्की कराना, अपने घर की कुर्की / ध्वस्त कराना / आदेश व अपराधों का मुकदमा मा. एन आई ए न्यायालय में शामिल करवाने की कृपा कीजिये।

जिससे जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के अधिकारियों (एम.सी.डी. डी.डी.ए. पुलिस व निजली विभाग, यातायात विभाग) को स्वतन्त्र रूप से जीने व जीवन व्यपन का खुला वातावरण सृजन हो।

इस कुख्यात अपराधों का मुखिया से जनप्रतिनिधि व प्रशासन अधिकारी गुंगे बहरे व अन्धे तथा अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा खो चुके हैं। इसकी वजह से इनका भी आस्तित्व खतरे में है।

मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि मा. मुख्य न्यायाधीश (सुप्रीम कोर्ट) लोक हित में कुख्यात अपराधों की मुखिया के विरुद्ध एनडाईए सी कोर्ट में मुकदमा/आपत्तिकी डी करार कर विधि सम्मत जाँचकर अपराधी को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की कृपा की लिये तथा आवास व बेनामी अर्जित सम्पत्तियों की कुकी का आदेश जारी कराने की कृपा की लिये ।

आप सहित आभार !
धन्यवाद !

संलग्न शिपार्ति -

1. मा. श्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित
पत्र दिनांक 10/08/2024 (इस्तीफा पत्र)
दिनांक 10/09/2024

प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मा. श्री मती सोपदी मुखर्जीजी,
राष्ट्रपति (प्रजातन्त्र भारत),
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-4

2. मा. श्री उपराष्ट्रपति जी,
उपराष्ट्रपति इन्कलेव,
केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110001

3. मा. श्री केबिनेट सचिव,
केबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली-110004

4. मा. श्री नरेन्द्र मोदी साहब,
प्रधानमंत्री (भारत-सरकार),
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011

5. मा. श्री अमित शाह जी,
केन्द्रीय गृह मंत्री (भारत-सरकार)
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011

6. मा. श्री वी. के. सक्सेना जी,
उपराज्य पाल - रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
राज निवास, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-54

प्राप्तिनी
मालती

श्रीमती मालती डेवी
उर्फ खामोश डेवी
W/O श्रीराम अवतार बंसवाल
उर्फ नरेश राम
पता-सी-55, 56, 57, 58
(12, राज प्लाट), आवंटन करी -
(भारत-सरकार) पुनर्वास कॉलोनी,
जे.जे. कॉलोनी, ककरोला,
भरत विहार, सेक्टर-15, कोरबा,
नई दिल्ली-110078
मो.-9971976129

भारतीय डाक

ED04617074IN INR:69680461707
SP MARKET ROAD NWPL SP HUB CI
Counter No:1,22/09/2024,16:09
To:GURPATI MURMU, PRINCEDEVI
PIN:110004, Rashtrapati Bhawan SD
From:MALTI DEVI,055565758
Wt:50gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)

भारतीय डाक

ED046170788IN INR:69680461707
SP MARKET ROAD NWPL SP HUB CI
Counter No:1,22/09/2024,16:09
To:SRI JAGDEEP D,PRINCEDEVI DEVI
PIN:110001, Market Road NWPL SP HUB
From:MALTI DEVI,055565758
Wt:50gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)

भारतीय डाक

ED046170805IN INR:69680461707
SP MARKET ROAD NWPL SP HUB CI
Counter No:1,22/09/2024,16:09
To:SRI CARINTI EC, SECURITY OFFICE
PIN:110004, Rashtrapati Bhawan SD
From:MALTI DEVI,055565758
Wt:50gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)

भारतीय डाक

ED046170821IN INR:69680461707
SP MARKET ROAD NWPL SP HUB CI
Counter No:1,22/09/2024,16:09
To:SRI CARINTI EC, SECURITY OFFICE
PIN:110004, Rashtrapati Bhawan SD
From:MALTI DEVI,055565758
Wt:50gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)

भारतीय डाक
ED04617074IN INR:69680461707
SP MARKET ROAD NWPL SP HUB CI
Counter No:1,22/09/2024,16:09
To:GURPATI MURMU, PRINCEDEVI
PIN:110004, Rashtrapati Bhawan SD
From:MALTI DEVI,055565758
Wt:50gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)

भारतीय डाक
ED046170788IN INR:69680461707
SP MARKET ROAD NWPL SP HUB CI
Counter No:1,22/09/2024,16:09
To:SRI JAGDEEP D,PRINCEDEVI DEVI
PIN:110001, Market Road NWPL SP HUB
From:MALTI DEVI,055565758
Wt:50gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)

भारतीय डाक
ED046170805IN INR:69680461707
SP MARKET ROAD NWPL SP HUB CI
Counter No:1,22/09/2024,16:09
To:SRI CARINTI EC, SECURITY OFFICE
PIN:110004, Rashtrapati Bhawan SD
From:MALTI DEVI,055565758
Wt:50gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)

भारतीय डाक
ED046170821IN INR:69680461707
SP MARKET ROAD NWPL SP HUB CI
Counter No:1,22/09/2024,16:09
To:SRI CARINTI EC, SECURITY OFFICE
PIN:110004, Rashtrapati Bhawan SD
From:MALTI DEVI,055565758
Wt:50gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)

दिनांक
16/08/2024

श्री घीसू लाल मेघवाल जी
पूर्व सह-कार्यालय मंत्री, दिल्ली प्रदेश
भारतीय जनता मनइर मधसंघ (BJMM),
१/० मा. श्री झुलू नन्द जी, बी-५४ सेक्टर-१५,
नोएडा (उ.प्र.) २०१३०१

विषय - मेरी मदद की गुजारिश हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं गत १६ माह से
दि. न. मि. (नजफगढ़ क्षेत्र) के अधिकारियों से परेशान हूँ।
शिकायत झूठी करवाकर मेरे मकान को गिराने की एम सी डी
नोटिस भेज रही हैं। मेरे घर की NOC व नक्शा पास कराइये।
इतनी मँडगाई में पाई-पाई जोड़कर मकान बनाया था।
गली वाले जालन व ईप्पा कारण ऐसा नोटिस निकलवा
कर मेरे पूरे परिवार बेवजह परेशान किया जा रहा है।
एम सी डी, मेरे मकान को ध्वस्त पहुँचाती हैं जे मुझे
हुई झर्ती का मुआयजा दिलाने की कृपा कीजिये।
मुझे व मेरे परिवार की सभी माशकियों में हर संभव
मदद कराने की आशा प्रकट करती हूँ व मेरे डारका-१५
की गली-मौदलों की गालियाँ टूटी हैं, गहरे २ खण्डे हैं,
गन्धगी सड़को से दूराने व मरम्मत व खुले बिजली के
टाई वोल्टेज तारों पर मौलों से पीडा है, कृपया भूमिगत तारों
के लिए जरूरी मदद कीजिये।

आभारी ।

भवदीया
भालूनी

प्रति-

१. मा. श्रीमती कमल सहाय
सांसद-डारका-सेक्टर-१९
डारका, नई दिल्ली-७५

श्रीमती भालूनी देवी
१/० श्री नरेश्वराम (१२५ गजपुर)
निवासी-५५, ५६, ५७, ५८ बकरी
भारत विहार डारका-१५, सेक्टर
नई दिल्ली-७४
मो. - ९९७१९७६१२९